



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.12.2024

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद:-

आज दिनांक 21.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना चांदनीबाग जनपद पानीपत पर मु0अ0सं0 393/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मोनू कुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी की मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स रजि0 HR06Z5903।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थानाध्यक्ष थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 3.उ0नि0 श्री विनोद कुमार तेवतिया थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 4.का0 सनोज कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।



थाना झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 21.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.ब्रह्मपाल पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.महताब पुत्र युनूस निवासी ग्राम रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में चोरी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1.वर्ष 1993 में अभियुक्त वासिद पुत्र हवीब निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 339/1993 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 21.12.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.वासिद पुत्र हवीब निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI